61

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
(2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

इकसठवां प्रतिवेदन

आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध

(स्वीकार नहीं किये गये)

23/03/2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2022 / चैत्र , 1944 (शक)

विषय सूची

	पृष्ठ
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-22) की संरचना	(ii)
प्राक्कथन	(iii)
प्रतिवेदन	1-2
परिशिष्ट-एक. आश्वासनों को छोड़ने के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोधों का सारांश दर्शाने वाला विवरण जिन पर 02 दिसम्बर, 2021 को समिति द्वारा विचार किया गया ।	3-4
परिशिष्ट- दो से पांच	
आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार नहीं किये गये)	
दो. "लड़ाकू विमान" के संबंध में दिनांक 14.03.2018 का अतारांकित प्रश्न सं. 3208	5-8
तीन. ''ग्रेट इंडियन बस्टर्ड'' के संबंध में दिनांक 22.11.2019 का अतारांकित प्रश्न सं. 1042	9-11
चार. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) की 02 दिसंबर, 2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश।	12-16
पांच. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) की 08 मार्च, 2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश।	17-18

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022)*
की संरचना

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
3. श्री निहाल चन्द चौहान
4. श्री गौरव गोगोई
5. श्री नलीन कुमार कटील
6. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
7. श्री कौशलेन्द्र कुमार
8. श्री अशोक महादेवराव नेते
9. श्री संतोष पांडेय
10. श्री एम.के.राघवन
11. श्री चंद्र शेखर साहू
12. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल
13. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
14. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
15. रिक्त

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख - संयुक्त सचिव
2. श्री टी.एस. रंगराजन - निदेशक
3. श्री एस.एल. सिंह - उप सचिव
4. श्री संजीव कुमार गुलाटी - समिति अधिकारी

---

*समिति का गठन 09 अक्तूबर, 2021 से किया गया है, देखिए दिनांक 18 अक्तूबर, 2021 के लोक सभा समाचार भाग - दो का पैरा सं. 3202.

प्राक्कथन

मैं, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का यह 61वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं ।

2. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति ने 02 दिसम्बर, 2021 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के अलावा ज्ञापन संख्या 02 से 11 पर विचार किया जिनमें 10 लंबित आश्वासनों को छोड़ने हेतु विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोध शामिल किए गए हैं और 02 आश्वासनों पर आगे कार्यवाही जारी रखने का निर्णय लिया ।

3. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) ने अपनी 08 मार्च, 2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

4. समिति की उपर्युक्त बैठकों के कार्यवाही सारांश इस प्रतिवेदन का भाग हैं ।

नई दिल्ली;
22 मार्च, 2022
01 चैत्र , 1944 (शक)

राजेन्द्र अग्रवाल
सभापति
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

प्रतिवेदन

सभा में प्रश्नों का उत्तर देते हुए अथवा विधेयकों, संकल्पों, प्रस्तावों आदि पर चर्चा के दौरान मंत्री मामले पर विचार करने, कार्रवाई करने अथवा बाद में किसी तिथि को सभा में जानकारी देने का आश्वासन, वचन देते हैं अथवा वायदा करते हैं। किसी आश्वासन को संबंधित मंत्रालय द्वारा तीन माह की अवधि में कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित है । यदि मंत्रालय किसी भी आधार पर आश्वासन को कार्यान्वित करने में कठिनाई महसूस करता है तो उसे सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति से उस आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध करना चाहिए और ऐसे अनुरोधों पर समिति उनके गुण- अवगुण के आधार पर विचार करती है और आश्वासन छोड़ने अथवा न छोड़ने का निर्णय लेती है।

2. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) ने 02 दिसंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में 10 लंबित आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोधों संबंधी 10 ज्ञापनों (परिशिष्ट-एक) पर विचार किया ।

3. मंत्रालयों/विभागों के अनुरोधों पर विचार करने के बाद समिति निम्नलिखित 02 आश्वासनों को छोड़े जाने के लिए दिए गए कारणों से संतुष्ट नहीं है:

क्रम सं.	ता.प्र./अता.प्र.सं.और दिनांक	मंत्रालय	विषय
1	अता.प्र.सं. 3208 दिनांक 14.03.2018	रक्षा (रक्षा विभाग)	लड़ाकू विमान (परिशिष्ट-दो)
2	अता.प्र.सं. 1042 दिनांक 22.11.2019	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (परिशिष्ट-तीन)

4. उपर्युक्त 02 आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए कारणों तथा उत्तरों से उत्पन्न आश्वासनों का ब्यौरा परिशिष्ट दो और तीन में दिया गया है।

5. समिति की 02 दिसंबर, 2021 को हुई बैठक जिसमें आश्वासनों को छोड़ने संबंधी अनुरोधों पर विचार किया गया था, का कार्यवाही सारांश परिशिष्ट–चार में दिया गया है ।

6. समिति चाहती है कि सरकार परिशिष्ट-चार के अनुबंध-दो में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों का संज्ञान ले और आश्वासनों को शीघ्र पूरा करने हेतु समुचित कार्रवाई करे ।

नई दिल्ली;
22 मार्च, 2022
01 चैत्र , 1944(शक)

राजेन्द्र अग्रवाल,
सभापति,
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

परिशिष्ट-एक

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-22)

आश्वासनों को छोड़ने के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोधों का सारांश दर्शाने वाला विवरण जिन पर 02 दिसम्बर, 2021 को समिति द्वारा विचार किया गया ।

क्रम सं.	ज्ञापन सं.	प्रश्न/चर्चा संदर्भ	मंत्रालय	विभाग	संक्षिप्त विषय
1	2	ता.प्र.सं. 298 दिनांक 14.12.2011	कोयला	-	कोल इंडिया लिमिटेड के अस्पताल और औषधालय
2	3	अता.प्र.सं. 2248 दिनांक 08.03.2021	वित्त	राजस्व विभाग	अंत: राज्य स्वर्ण परिवहन के लिए ई-वे बिल
3	4	अता.प्र.सं. 2396 दिनांक 28.03.2012	संचार	दूरसंचार विभाग	राष्ट्रीय ब्राडबैंड प्लान
4	5	अता.प्र.सं. 402 दिनांक 19.07.2016	कृषि और कृषक कल्याण	कृषि और कृषक कल्याण विभाग	जीएम प्रौद्योगिकी करार दिशा-निर्देशों हेतु लाईसेंसिंग और फॉर्मेट
5	6	अता.प्र.सं. 5681 दिनांक 10.05.2012	रेल	-	रेल डिब्बा कारखाना
6	7	अता.प्र.सं. 133 दिनांक 27.11.2019 (श्री धर्मबीर सिंह, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	रेल	-	सिग्नलिंग प्रणाली का उन्नयन

7	8	अता.प्र.सं. 3208 दिनांक 14.03.2018	रक्षा	रक्षा विभाग	लड़ाकू विमान
8	9	अता.प्र.सं. 2170 दिनांक 08.03.2021	वित्त	आर्थिक कार्य विभाग	करेन्सी प्रारूप में नवाचार
9	10	अता.प्र.सं. 1042 दिनांक 22.11.2019	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	-	ग्रेट इंडियन बस्टर्ड
10	11	अता.प्र.सं. 2222 दिनांक 08.03.2021	वित्त	आर्थिक कार्य विभाग	बिटकॉइन के कारोबार पर प्रतिबंध

परिशिष्ट-दो

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 08

विषयः "लड़ाकू विमान" विषय से संबंधित दिनांक 14.03.2018 के अतारांकित प्रश्न सं. 3208 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने हेतु अनुरोध।

दिनांक 14.03.2018 को एडवोकेट शरदकुमार मारुति बनसोडे, संसद सदस्य ने रक्षा मंत्री से अतारांकित प्रश्न सं. 3208 पूछा । प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं ।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा रक्षा मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन इसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है ।

3. रक्षा मंत्रालय ने अपने दिनांक 18 जुलाई 2018 के का.ज्ञा.सं. 7(14)/यूएस डी(एआईआर-I)/2018 द्वारा निम्नलिखित आधार पर आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है:-

"कि लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3208 के उत्तर में एचएएल से शेष 272 एसयू-30 एमकेआई विमानों को शामिल किए जाने की स्थिति के बारे में बताया गया है और इस तथ्यात्मक स्थिति को कि "भारतीय वायु सेना की लड़ाकू विमान संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एचएएल से शेष 272 एसयू-30 एमकेआई विमानों को शामिल किए जाने का कार्य प्रगति पर है" को आश्वासन नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह संविदा के कार्यान्वयन के संबंध में केवल तथ्यात्मक स्थिति है और इसलिए यह आश्वासन नहीं बनता है।"

4. समिति द्वारा 24.01.2020 को हुई अपनी बैठक में आश्वासन को छोड़ने संबंधी अनुरोध पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि आश्वासन को न छोड़ा जाए। तदनुसार समिति ने 23 सितंबर 2020 को अपना 12वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत किया और यह सिफारिश की कि मंत्रालय द्वारा इस मामले पर तेजी से कार्रवाई की जाए और इस मामले में की गई पहलों और तत्संबंधी प्रगति से समिति को अवगत कराया जाए।

5. तथापि रक्षा मंत्रालय ने अपने दिनांक 10 सितंबर 2020 और 03 नवंबर 2020 के का.ज्ञा.सं. 7(14)/यूएस डी(एआईआर-I)/2018 द्वारा निम्नलिखित आधार पर आश्वासन को छोड़ने का पुनः अनुरोध किया है:-

> "कि लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3208 के उत्तर में एचएएल से शेष 272 एसयू-30 एमकेआई विमानों को शामिल किए जाने की स्थिति के बारे में बताया गया है और इस तथ्यात्मक स्थिति को कि "भारतीय वायु सेना की लड़ाकू विमान संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एचएएल से शेष 272 एसयू-30 एमकेआई विमानों को शामिल किए जाने का कार्य प्रगति पर है" को आश्वासन नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह संविदा के कार्यान्वयन के संबंध में केवल तथ्यात्मक स्थिति है और इसलिए यह आश्वासन नहीं बनता है।
>
> जहां तक अद्यतन स्थिति का संबंध है, यह सूचित किया जाता है कि 272 में से कुल 269 विमान भारतीय वायु सेना में शामिल किए जा चुके हैं जो कि संविदा के तहत आपूर्ति का 98 प्रतिशत है। शेष तीन विमानों में से दो विमान संभवतः नवंबर 2020 तक भारतीय वायु सेना को सौंप दिए जाएंगे। इसके साथ संविदा विमानों की आपूर्ति 99% तक हो जाएगी। एचएएल में संविदाकार अभ्यास (कॉन्ट्रेक्टर सॉर्टीज) के दौरान एक विमान श्रेणी 1 दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस विमान को सुपुर्द किए जाने की समय-सीमा की अभी एचएएल द्वारा पुष्टि की जानी है।"

6. आश्वासन को छोड़ने के उक्त अनुरोध पर समिति द्वारा 19 जनवरी, 2021 को हुई अपनी बैठक में पुनः विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि आश्वासन को छोड़ा न जाए। तद्नुसार समिति ने 03 अगस्त, 2021 को अपना 47वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत किया और यह माना कि कुल मिलाकर आश्वासन को पूरा कर लिया गया है। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि अपेक्षित कार्यान्वयन प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाए।

7. तथापि, रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग) ने कार्यालय ज्ञापन सं. 7(14)/यूएस डी (एआईआर-I)/2018, दिनांक 15 सितंबर, 2021 द्वारा निम्नवत बताया है:-

> '(I) यह सूचित किया जाता है कि एक विमान जो कि उत्पादन परीक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, को छोड़कर सभी विमान भारतीय वायु सेना में शामिल कर लिए गए हैं अर्थात् कुल संविदाकृत 272 विमानों में से 271 विमान भारतीय वायु सेना में शामिल कर लिए गए हैं।
>
> (II) यह सूचित किया जाता है कि जो विमान उत्पादन परीक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसकी सुपुर्दगी 2012-13 में की जानी थी, लेकिन इसमें विलम्ब हो गया और एचएएल

ने 2018-19 में सुपुर्दगी का समय दिया। दुर्भाग्यवश, एचएएल में उत्पादन परीक्षण उड़ान के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

(III) यह कहा जा सकता है कि एक विमान जो उत्पादन परीक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, को छोड़कर सभी 272 विमानों का उत्पादन और सुपुर्दगी की गई।"

8. उपरोक्त के दृष्टिगत और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विमानों को शामिल किए जाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है (सिवाय एक विमान को छोड़कर जो उत्पादन परीक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था), मंत्रालय ने रक्षा राज्य मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है ।

समिति के पुनः विचारार्थ प्रस्तुत है ।

नई दिल्ली
दिनांकः 24.11.2021

अनुबन्ध

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3208
14 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए

लड़ाकू विमान

3208. एडवोकेट शरद कुमार मारुति बनसोडे :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लड़ाकू विमानों की खरीद में तेजी लाने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)

(क) और (ख): भारतीय वायुसेना की लड़ाकू विमान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एचएएल से शेष 272 एसयू -30 एम के -1 विमान शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है । भारतीय वायुसेना में 40 एलसीए शामिल करने का कार्य पूरा हो चुका है । 15 मार्च, 2017 को सरकार ने एलसीए की उत्पादन दर को मौजूदा विमान प्रतिवर्ष से 16 विमान प्रतिवर्ष बढ़ाने की स्वीकृति दी है । इसके अतिरिक्त, दिसंबर, 2017 में 83 एलसीए एमके 1-ए के प्रापण के लिए आरएफपी जारी किया जा चुका हैं । 36 राफेल विमानों को शामिल करने का कार्य सितंबर, 2019 तक पूरा हो जाएगा ।

******

परिशिष्ट-तीन

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 10

विषय: 'ग्रेट इंडियन बसटर्ड' से संबंधित दिनांक 22.11.2019 के अतारांकित प्रश्न सं. 1042 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध ।

22 नवम्बर, 2019 को श्री बी.एन. बचेगौडा ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से अतारांकित प्रश्न सं. 1042 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर कार्यान्वित करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

3. इस संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने दिनांक 07 फरवरी, 2021 के एफ.सं. 17-10/2020-डब्ल्यूएल के माध्यम से निम्नानुसार जानकारी दी:-

"राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड संबंधी स्थायी समिति (एससीएनबीडब्ल्यूएल) द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2019 को हुई अपनी 54वीं बैठक में कृतिक बल की सिफारिशों पर विचार किया था। एससीएनबीडब्ल्यूएल ने कृतिक बल की 13 सिफारिशों में से 11 सिफारिशों को स्वीकार किया जिन्हें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और संबंधित प्राधिकारियों/संगठनों को कार्यान्वयन हेतु भेज दिया गया था।"

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने राज्य मंत्री (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन) के अनुमोदन से समिति से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

दिनांक: 24.11.2021
नई दिल्ली

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1042
22.11.2019 को उत्तर के लिए

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

1042. श्री बी.एन. बचे□डा:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गम्भीर रूप से सङ्कटापन्न ग्रेट इडियन बस्टर्ड विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं;
(ख) यदि हा□ तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या ह□और इसके क्या कारण हैं; और
(ग) ग्रेट इडियन बस्टर्ड के सरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) गम्भीर रूप से सङ्कटापन्न ग्रेट इडियन बस्टर्ड पर उनके विलुप्त होने का खतरा □ सन्न ह□ पारम्परिक शिकार, उनके पर्यावास, घास भूमियों का गहन कृषि में परिवर्तन जसे मिश्रित मानवीय कारकों और उनके पर्यावास के अन्दर बिजली की लाईनों से टकराने/करट लगने के कारण मौत होने तथा उनके प्रजनन स्थलों में कुत्तों और अन्य परभक्षियों द्वारा घोसलों को नुकसान पहुंचाने/शिकार कर लेने जसे उभरते खतरे के कारण ग्रेट इडियन बस्टर्ड की सख्या में कमी □ ई ह□ भारतीय वन्यजीव सस्थान के अनुमान के अनुसार, वर्तमान में ग्रेट इडियन बस्टर्ड की अनुमानित सख्या 130-150 ह□जिनमें अधिकाश लगभग 120 पक्षिया□ जयसलमेर, राजस्थान में पाई जाती हैं, गुजरात में 6 मादा पक्षिया□ हैं तथा महाराष्ट्र, □ ध्र प्रदेश और कर्नाटक में कुल मिलाकर 15-25 पक्षिया□ हैं।

(ग) सरकार द्वारा ग्रेट इडियन बस्टर्ड के सरक्षण हेतु उठाए गए/उठाए जा रहे क़दम निम्नलिखित हैं:

i. ग्रेट इडियन बस्टर्ड को वन्यजीव (सरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में रखा गया ह□और ऐसा करके उसे शिकार से बचाने के लिए सर्वाधिक कानूनी सरक्षण प्रदान किया गया ह□
ii. ग्रेट इडियन बस्टर्ड के महत्वपूर्ण पर्यावासों को उनके बेहतर सरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों के रूप में नामित किया गया ह□

iii. इस प्रजाति को केन्द्र-प्रायोजित योजना (सीएसएम)-वन्यजीव पर्यावास का विकास के 'प्रजाति बहाली कार्यक्रम' घटक के तहत सरक्षण के प्रयासों के लिए अभिज्ञात किया गया ह॥ ग्रेट इडियन बस्टर्ड और उसके पर्यावास को बेहतर सरक्षण प्रदान करने हेतु वन्यजीव पर्यावास के विकास की केन्द्र-प्रायोजित योजना के तहत राज्य/सघ क्षेत्र सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती ह॥

iv. मत्रालय द्वारा राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के वन विभागों के सहयोग और भारतीय वन्यजीव सस्थान (डब्ल्यू॰ ई॰ ई), देहरादून के तकनीकी सहयोग से ग्रेट इडियन बस्टर्ड के सरक्षण प्रजनन के सबध में एक पहल की गई ह॥ मत्रालय ने राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्राधिकरण की वित्तीय सहायता से पाच वर्षों की अवधि के लिए 'ग्रेट इडियन बस्टर्ड के पर्यावास में सुधार और उसका सरक्षण प्रजनन-एक समेकित दृष्टिकोण' शीर्षक के कार्यक्रम के लिए 33.85 करोड़ रू. के परिव्यय की मजूरी प्रदान की ह॥ इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उद्यानों या अभयारण्यों में जी॰ ईबी की सख्या बढ़ाने और सख्या में वृद्धि के लिए चूजों को जगल में छोड़ने के साथ-साथ इस प्रजाति के स्व-स्थाने सरक्षण को बढ़ावा देना ह॥

v. ऊपर उल्लिखित परियोजना के तहत, राज्य सरकार, भारतीय वन्यजीव सस्थान और अतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके, जिला कोटा, राजस्थान में सरक्षण प्रजनन केन्द्र की स्थापना हेतु एक स्थान को अभिज्ञात किया गया ह॥ वर्तमान में बदी पक्षियों (एक वर्ष तक की) के लिए साम, जयसलमेर, राजस्थान में इनक्यूबेटर, हजार, चिक-रिअरिग तथा हाउसिग की सुविधा के साथ एक केन्द्र स्थापित किया गया ह॰और उसका प्रबधन भारतीय वन्यजीव सस्थान के वज्ञानिकों, राजस्थान वन विभाग द्वारा हाउबारा सरक्षण और रिनेको, अबु धाबी के लिए अतर्राष्ट्रीय कोष से प्राप्त तकनीकी सहायता से किया जा रहा ह॰ जिनके पास बदी रखे गए हाउबारा तथा अरब देश के बस्टर्ड के प्रजनन के सबध में व्यापक अनुभव ह॰

vi. मत्रालय द्वारा विद्युत पारेषण लाइनों तथा अन्य विद्युत पारेषण अवसरचनाओ॰ के ग्रेट इडियन बस्टर्ड सहित वन्यजीवों पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने हेतु पारि-अनुकूल उपाय सुझाने के लिए एक कार्य-बल का भी गठन किया गया ह॥

vii. मत्रालय द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मत्रालय तथा विद्युत मत्रालय से अनुरोध किया गया ह॰कि वे विद्युत ॰ पूर्ति एजेंसियों को बिजली की लाईनों पर पक्षियों को दूर भगाने का यत्र लगाने, 33 केवी तक की बिजली लाइनों को भूमिगत करने, पवन सचालित टर्बाइनों के वात सूचकों को पेंट करने का निर्देश जारी करें।

****

परिशिष्ट-चार

कार्यवाही सारांश

सरकारी आश्वासनों संबधी समिति

(2021-2022)

(सत्रहवीं लोकसभा)

चौथी बैठक

(02.12.2021)

समिति की बैठक कमरा संख्या 139, संसदीय सौध, नई दिल्ली में 1500 बजे से 1530 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री निहाल चन्द चौहान
3. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
4. श्री अशोक महादेवराव नेते
5. श्री चंद्र शेखर साहू

सचिवालय

1. श्री पवन कुमार - संयुक्त सचिव
2. श्री एस.एल. सिंह - उप सचिव

सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें अवगत कराया कि बैठक (i) 2 प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने; और (ii) 10 लंबित आश्वासनों को छोड़ने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोधों में अन्तर्विष्ट 10 ज्ञापनों पर विचार करने के लिए बुलाई गई है। ।

2. XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

3. XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

4. तत्पश्चात, समिति ने संबंधित आश्वासनों को छोड़ने या नहीं छोड़ने के लिए उक्त 10 ज्ञापनों (ज्ञापन संख्या 02 से 11) को विचारार्थ लिया जिसमें 10 आश्वासन अन्तर्विष्ट थे। कुछ ज्ञापनों पर विचार करने के पश्चात, समिति ने माननीय सभापति को ज्ञापन पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया। तत्पश्चात सभापति ने अनुबंध-I* में दिए गए विवरण के अनुसार 08 आश्वासनों को छोड़ने और संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वयन के लिए अनुबंध-II में दिए गए विवरण के अनुसार शेष 02 आश्वासनों पर आगे कार्रवाई करने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

*इस प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है।

अनुबंध-दो

02.12.2021 को हुई अपनी बैठक में सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) द्वारा छोड़े नहीं गए आश्वासनों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	ज्ञापन संख्या	ता/अ.ता.प्रश्न संख्या और तिथि	मंत्रालय/विभाग	विषय	टिप्पणी
1.	8	अ.ता.प्रश्न संख्या 3208 दिनांक 14.03.2018	रक्षा (रक्षा विभाग)	लड़ाकू विमान	समिति ने नोट किया कि सभी 272 विमानों का उत्पादन और उन्हें सौंप दिया जा चुका है और अनुबंधित 272 विमानों में से कुल 271 विमानों को भारतीय वायु सेना (आईएएफ) में शामिल किया गया है, सिवाय एक विमान को छोड़कर जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) में उत्पादन परीक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वास्तव में, समिति ने 3 अगस्त, 2021 को सदन में प्रस्तुत अपने 47वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में टिप्पणी की थी कि कुल मिलाकर आश्वासन को पूरा कर दिया गया था और अपेक्षित कार्यान्वयन प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करने की इच्छा जताई थी। हालांकि, कार्यान्वयन प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की बजाय,

					मंत्रालय ने फिर से आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मंत्रालय द्वारा संसदीय समिति के प्रतिवेदनों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे आश्वासन के कार्यान्वयन में और विलंब हुआ है जो तीन वर्ष और छह महीने से अधिक समय से लंबित है। समिति संसदीय आश्वासनों/प्रतिवेदनों के प्रति इस तरह के उदासीन रवैये और उपेक्षा की निंदा करती है। यद्यपि, समिति अब अपेक्षा करती है कि मंत्रालय मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा। अतः समिति अपनी पूर्व सिफारिश को दोहराती है कि अपेक्षित कार्यान्वयन प्रतिवेदन को बिना किसी विलंब के यथाशीघ्र सभा पटल पर रखा जाए।
2.	10	अ.ता.प्रश्न संख्या 1042 दिनांक 22.11.2019	जलवायु, वन और जलवायु परिवर्तन	ग्रेट इंडियन बस्टर्ड	मंत्रालय ने कहा है कि कृतिक बल की सिफारिशों पर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (एससीएनबीडब्ल्यूएल) संबंधी स्थायी समिति द्वारा 18 जुलाई, 2019 को आयोजित अपनी 54वीं बैठक में विचार किया गया था। एससीएनबीडब्ल्यूएल ने

					कृतिक बल की 13 सिफारिशों में से 11 सिफारिशों को स्वीकार किया। जिन्हें कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और संबंधित प्राधिकरणों/संगठनों को भेज दिया गया था। इस प्रकार, कुल मिलाकर, आश्वासन पूरा हो गया है। समिति चाहती है कि अपेक्षित कार्यान्वयन प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया जाए।

कार्यवाही सारांश

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

(2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सातवीं बैठक

(08.03.2022)

समिति की बैठक 1500 बजे से 1600 बजे तक समिति कमरा संख्या '3', संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
3. श्री कौशलेन्द्र कुमार
4. श्री एम.के. राघवन
5. श्री चंद्र शेखर साहू

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख	-	संयुक्त सचिव
2. श्री टी.एस. रंगराजन	-	निदेशक
3. श्री एस.एल. सिंह	-	उप सचिव
4. श्रीमती विनीता सचदेव	-	अवर सचिव

XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें उस दिन की कार्यसूची से अवगत कराया। तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित तीन (03) प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया और उन्हें बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया:

(i) "रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा" विषय के संबंध में प्रारुप प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)

(ii) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार किए गए)' विषय के संबंध में प्रारूप प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा); और

(iii) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार नहीं किए गए)' विषय के संबंध में प्रारूप प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

2. समिति ने सभापति को उक्त प्रतिवेदनों को चालू सत्र के दौरान प्रस्तुत करने हेतु भी प्राधिकृत किया।

XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।